प्राथमिकता/तत्काल निर्गत

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

संख्याःडीजी–परिपत्र– 62/2015 लखनऊःदिनांकःअगस्त 27, 2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत ही हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई सामूहिक बलात्कार की वीभत्स घटना में पीड़िता को पहुँचायी गई शारीरिक क्षति एवं उसकी मृत्यु की घटना ने पूरे देश में जन–मानस को झकझोर दिया था। महिलाओं के साथ बढ़ती हुई यौन हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखकर दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम–2013 लागू किया गया है, जो mha.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह आवश्यक है कि इस अधिनियम का गहनता से अध्ययन कर लिया जाय। इस संशोधन में मुख्यरूप से उल्लेखनीय बिन्दुओं में से कतिपय बिन्दु निम्नवत् द्रष्टव्य हैंः–

- महिला पर Acid Attack व उसका प्रयास, पीछा करना, दृश्य रतिकता, लैंगिक उत्पीड़न, निःवस्त्र करने के लिये बल प्रयोग करना, बलात्कार/सामूहिक बलात्संग, उसके कारण मृत्यु या विकृतशील अवस्था होना, दुर्व्यापार को परिभाषित कर दिया गया है।
- महिला सम्बन्धी अपराध का पंजीकरण न करने पर पुलिस अधिकारी के विरूद्ध संज्ञेय अपराध पंजीकृत किया जायेगा, जिसकी विवेचना के उपरान्त अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
- एसिड अटैक या उसका प्रयास होने पर आत्म सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है।
- महिला सम्बन्धी विभिन्न अपराधों का पंजीकरण महिला पुलिस अधिकारी अथवा अन्य महिला अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा। इसी प्रकार, 161 दं0प्र0सं0 में पीड़ित महिला का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगा।
- एसिड अटैक व बलात्कार के प्रकरणों में सभी सरकारी व निजी अस्पतालों द्वारा पीड़िता की निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार करने का प्राविधान किया गया है।

2– इसी क्रम में दं0प्र0सं0–1973 में हुये कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन भी द्रष्टव्य हैंः–

- यदि किसी महिला के साथ एसिड अटैक, छेड़खानी, बलात्कार और 509 के अपराध की सूचना दी जाती है तो उसके बयान को एफआईआर में अभिलिखित महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उसकी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

(धारा–154 दं0प्र0सं0)

- इसी प्रकार छेड़खानी एवं बलात्कार के प्रकरणों में विवेचना के दौरान उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

(धारा–161 दं0प्र0सं0)

3– यह स्पष्ट करना है कि यह कदापि नहीं निर्देशित किया गया है कि बलात्कार व छेड़खानी के प्रकरण की विवेचना महिला पुलिस अधिकारी करेगी। केवल अपराध पंजीकरण व

पीड़िता का 161 दं0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी या उसके उपलब्ध न होने पर किसी महिला अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

4– आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दण्ड विधि(संशोधन) अधिनियम–2013 का भलीभांति अध्ययन कर लें तथा जनपद स्तर पर इस सम्बन्ध में कार्यशालाओं का आयोजन करके निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं थानों के हेड मोहर्रिर व कान्सटेबिल मोहर्रिर को उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों को एसपीओ/पीओ के माध्यम से अवगत करायें। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अत्यधिक संवेदनशील होकर कार्य करें एवं संशोधित अधिनियम की धाराओं का एफआईआर में उल्लेख करना सुनिश्चित करायें।

5– इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर कई परिपत्र पूर्व में भी निर्गत किये गये हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु उनमें से कतिपय अत्यन्त महत्वपूर्ण परिपत्रों का विवरण निम्नवत् है:–

1–डीजी–परि0 सं0–46/2015, दि0 16.06.2015
2– डीजी–परि0 सं0–02/2015, दि0 10.01.2015
3– डीजी–परि0 सं0–67/2014, दि0 17.10.2014
4– डीजी–परि0 सं0–51/2014, दि0 16.08.2014
5– डीजी–परि0सं0–38/2014,दि0 7/9.06.2014
6– डीजी–परि0 सं0–57/2013, दि0 13.10.2015
7– डीजी–परि0 सं0–41/2013, दि0 01.08.2015
8– डीजी–परि0 सं0–19/2013, दि0 06.05.2015
9– डीजी–परि0 सं0–16/2013, दि0 29.04.2013
10–डीजी–परि0 सं0–13/2013, दि0 17.04.2013
11–डीजी–सात–एस–2ए(निर्देश)/2013, दि0 12.04.2013

6– आप सहमत होंगे कि महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध घटित अपराध अत्यन्त गंभीर विषय है, जिस पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। इसके नियन्त्रण हेतु समय–समय पर मुख्यालय स्तर से जो दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, उनका अनुपालन किया जाना पुलिस के कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। अपेक्षा की जाती है कि थानों के निरीक्षण के समय जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्वयं तथा अपने अधीनस्थ नियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी के स्तर पर भी उपरोक्त निर्देशों के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवश्य ही अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रियान्वयन में आने वाली प्रत्येक बाधा का तत्परता पूर्वक निराकरण कर लिया जाय :–

- महिला सम्बन्धी अपराधों में पीड़िता की एफआईआर एवं बयान महिला पुलिस अधिकारी/अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही लिया जाय। इस सम्बन्ध में यह देखना आवश्यक होगा कि थाने में महिला पुलिस अधिकारी/महिला आरक्षी की नियुक्ति है अथवा नहीं। थाने में एक महिला आरक्षी की (मुन्शी) के रूप में नियुक्ति तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–154(1) के

अर्न्तगत महिला पुलिसकर्मी से अपेक्षित समस्त कार्यवाही इस महिला मुन्शी द्वारा सम्पादित की जानी चाहिये।

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—161(3) के अर्न्तगत पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी करायी जाय। इस सम्बन्ध में यह देख लिया जाय कि थाने पर उपलब्ध कराया गया वीडियो कैमरा कार्यशील है अथवा नहीं। यदि कैमरा खराब है तो तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करते हुये खराब कैमरे की मरम्मत करा ली जाय तथा संचालन हेतु प्रशिक्षित पुलिसकर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

7— महिलाओं/लड़कियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन सभी थानों पर सम्यक् रूप से विधि के अनुरूप किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका अनुश्रवण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद स्तर पर प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली अपराध गोष्ठी में अवश्य किया जाय, ताकि सभी थाना प्रभारियों को सन्दर्भित विषय में न केवल पूर्ण भिज्ञता बनी रहे, वरन् उनके द्वारा इस विषय में की जाने वाली कार्यवाहियों के गुण—दोषों की भी समीक्षा हो सके।

8— अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में महिलाओं/लड़कियों के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुये दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम—2013 व दण्ड प्रक्रिया—1973 में हुये महत्वपूर्ण संशोधनों के दृष्टिगत अपेक्षित विधिक कार्यवाही का सम्पादन करें, ताकि महिलाओं/लड़कियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त हो।

27/8/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु प्रेषितः—

1— समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

2— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।